

संस्था का ज्ञापन

और

संस्था की नियमावली

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय

(भारत सरकार के अधीन पंजीकृत सोसायटी)

संस्था का ज्ञापन

और

संस्था की नियमावली

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय
(भारत सरकार के अधीन पंजीकृत सोसायटी)

अनुक्रमणिका

संस्था का ज्ञापन

1. नाम
2. पता
3. मुख्य उद्देश्य
4. प्रबन्ध निकाय

संस्था की नियमावली

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र के नियम-विनियम

1. परिभाषा
2. महासभा
3. प्रबन्ध परिषद्
4. कार्यकारिणी समिति
5. सलाहकार समिति
6. अधिकारी और उनकी इयूटियां
7. बैठकों के कार्यवृत्त
8. वित्त बजट और लेखा
9. सोसायटी के उपनियम
10. शक्तियों का प्रत्यायोजन
11. संविदा
12. सामान्य

संस्था का ज्ञापन

1. नाम : सौसायटी का नाम "उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र" (उ. प्रौ. के.) होगा ।
2. पता : सौसायटी का पंजीकृत कार्यालय संघ शासित क्षेत्र विलीन में होगा । इस समय, यह निम्नलिखित पर्याप्त पर है :

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र,
पांचवां तल, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, इन्डीट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003.

3. मुख्य उद्देश्य :

केन्द्र के मुख्य उद्देश्य हैं :

- 3.1 निम्नलिखित के द्वारा शोधन प्रक्रिया, पेट्रोलियम उत्पादों जिनमें लूबीकेन्ट, एडिटिव व उनके प्रयोग शामिल हैं, उत्पादों के क्षेत्र में भावी आवश्यकताओं का निर्धारण, अर्जन, विकास एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाना, कच्चे तेल, उत्पादों एवं गैस के भण्डारण, उनका रखना-उठाना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना :

- क) राष्ट्रीय स्तर पर निजी प्रयास ।
- ख) उद्योग की उपयोगिता हेतु देश के अन्दर और विदेश से परामर्श, तकनीकी सेवाएं, सूचना, सलाह एवं प्रौद्योगिकी का प्रबन्ध ।
- ग) देश तथा विदेश के तेल कंपनियों, शोधन शालाओं, प्रतिष्ठानों, जनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, परामर्शदाता संगठनों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुवर्ती कार्रवाई करना, सहयोग देना, सामंजस्य रखना और कार्यकलापों को उपयोगी बनाना ।
- घ) तेल उद्योग के वर्तमान प्रचालनों का विश्लेषण करना ताकि अवधारणा का मूल्यांकन कर उनका उपयोग किया जा सके ।
- ङ) प्रौद्योगिकी योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं, जिसमें प्रायोगिक संयंत्र शामिल हैं, का पता लगाना, उनके लिए धन आयोजित करना और उनका अनुवीक्षण करना ।

- क) वैज्ञानिक सत्ताहकार समितियों और अन्य सरकारी निकायों तथा अभिकरणों के साथ समन्वयन करना ।
- ख) अनुसन्धानों की दिशाओं पर ध्यान रखना और नवीन अनुसन्धान कार्यक्रमों को प्रशोचित करना ।
- ग) प्रौद्योगिकी (जिसमें नवीन प्रौद्योगिकी को प्रयोग योग्य बनाना शमिल है) में परिवर्तनों का सर्वेक्षण करना एवं प्रौद्योगिकी के आत्मसात् और भावी विकासों के प्रभाव का सूम्प अध्ययन करना ।

3.2 उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग) को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों पर उनके समन्वयन और आयात, प्रौद्योगिकी के अर्जन एवं समन्वयन तथा इसके उपयोग पर परामर्श देगा ।

- 3.3 विशिष्ट क्षेत्रों, जिनमें निम्न सम्मिलित हैं, में सुविकास का विकास करना और एकत्र करना :
- क) समझी और संसाधन ।
- ख) प्रचालन और सुरक्षा पद्धति ।
- ग) निरीक्षण और अनुरक्षण प्रथा ।
- घ) पर्यावरण और दूषित स्रोतों का नियन्त्रण ।
- ड) ऊर्जा और संरक्षण ।
- उ) उत्पाद गुणवत्ता और परीक्षण तथा उत्पाद उपयोग ।
- छ) उपकरण और नियन्त्रण ।
- च) भण्डारण, स्थानान्तरण और परिवहन ।
- झ) संसाधन ।
- छ) मानक ।
- ट) उच्चोग्य में सेवा विस्तार के लिए अनुसन्धान और विकास कार्यक्रम ।

3.4 प्रासंगिक उद्देश्य :

अन्य समस्त कार्यों, वित्तीयों, मामलों और वस्तुओं को करना जो उनके लिए करना आवश्यक है या प्रासंगिक है संस्था के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए और पूर्वोक्त समान्य वार्तों के प्रति बिना किसी पूर्वाश्रित, के निम्नलिखित काम भी करना ।

- क) भावी रूख का ध्यान रखते हुए हाइड्रोकार्बन्स प्रक्रियाओं की प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, संरक्षण, सुरक्षा, उपकरणों आदि में अग्रणी होकर परीक्षण और कार्य करना तथा ऐसे मौलिक अनुसन्धान जो अनिवार्य हों, उन्हें करना ।
- ख) प्रौद्योगिकी के आयात में उच्चोग से सम्बद्ध रहना और उनके आत्मसात्करण, अपनाने और क्रियान्वयन के कार्यक्रमों का विकास करना ।
- ग) दक्षतापूर्ण और विश्वसनीय सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रौद्योगिकीय सम्पन्नता तथा आत्म-विश्वास प्राप्त करना ।
- घ) प्रासंगिक सूचना प्रसारित करना एवं सम्बन्धित प्रौद्योगिकीयों को उन्नत करना। देश के अन्दर और विदेश के संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रौद्योगिकी का विकास एवं अन्तरण ।
- उ) नवीन प्रौद्योगिकीयों के अर्जन और अपनाने हेतु योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जन-शक्ति विकास में सहयोग करना ।
- च) देश-विदेश में व्यापार से सम्बन्धित सभी प्रकार की संविदा सेवाओं का उत्तरदायित्व लेना ।
- छ) अन्य देशों के अभिकरणों के साथ उनके अनुभवों एवं जानकारियों का भागीदार होकर और उनके साथ मिलकर काम करना व सहयोग देना ।
- ज) उत्पादों के प्रकारों को उन्नत करने, ऊर्जा खपत में कमी करने और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने में कंपनियों की मदद करना और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग को परामर्श देना ।
- झ) तेल कंपनियों के अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों के तैयार करने में और उनके समन्वयन में सहयोग देना ताकि दोहरे कार्य से बचा जा सके, अनुसूची अनुसार परिणाम प्राप्त करना और सूचनाएं प्रसारित करना ।
- 3.5 किसी प्रकार की दी गई सेवाओं हेतु पारिश्रमिक स्वीकारना ।

- 3.6 प्रौद्योगिकियों की अधिप्राप्ति या परामर्शी सेवाओं के लिए या किसी प्रकार के अनुसंधान / विकास कार्यों के लिए भूगतान करना जोकि संस्था के लिए की गई हों।
- 3.7 निन्न के माध्यम से गतिशील प्रचालन के लिए एक स्वतन्त्र और स्वायत्त प्राधिकार, उत्तराधिकृती और नम्यता, के साथ संस्थागत कार्य ढाँचे के अनुरूप केन्द्र का प्रबंधन करना :
- (क) देश के अन्दर, बाहर फैले प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों में से सक्षम लोग। केन्द्र में अन्य संगठनों से स्टाफ के लाने व उनकी वापसी से केन्द्र में सुविज्ञ लोगों का गठन सुनिश्चित करना ।
- (ख) विविध कार्यकलालों जिसमें प्रौद्योगिकियों की अधिप्राप्ति से सम्बन्धित मामले, प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग और उनके स्थानान्तरण, वित्तीय प्रशासन, कार्य आदि मामले शामिल हैं, में संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने की सुविधार्थ विशिष्ट कार्यविधि ।
- 3.8 भारत में अन्य स्थलों पर उपकेन्द्रों का गठन करना या उनका गठन करवाना जो अन्य बातों के साथ-साथ सोसायटी द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यकर्तों को कार्यान्वित करना और / या स्थानीय प्रतिभाजों के उपयोग के लिए उनकी खोज में रहे ।
- 3.9 अनुदान, ऋण, अंशदान, दान ग्रहण करना, प्रदान की गई सेवाओं का पारिश्रमिक लेना या अन्य कोई, वित्तीय नक़री सहायता और किसी प्रकार की चल या अचल सम्पत्ति, देश के अन्दर किसी संगठन से और / या विदेश से जिसमें संयुक्त राष्ट्र, अभिकरण शामिल हैं, जोकि प्रचलित कानून के अधीन हों, और
- (क) सोसायटी की आप या उसका कोई अंश ऐसी अवधि(यों) और प्रयोजन(नों) के लिए एकत्र करना जिसे सोसायटी उचित समझती हो ।
- (ख) सोसायटी द्वारा अस्थायी रूप से ग्रहीत समस्त या अन्य कोई अतिरिक्त धनराशि का निवेश करना, और
- ग) सोसायटी द्वारा अस्थायी रूप से ग्रहीत सम्पूर्ण धन राशि, सम्पर्कियों या किसी भी प्रकार के अन्य निवेशों को समय-समय पर परिवर्तन करना, विनियम करना और / या पुनर्निवेश करना या जिसमें उसे या उसका कोई परिवर्तित भाग, विनियम या पुनर्निविशित किया जाना और उसका संग्रह किया जाना ।
- 3.10 सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी चल या अचल सम्पत्ति का अस्थायी या स्थायी रूप से काय करना या पट्टे पर लेना या किये पर या अन्यथा अर्जित करना ।
- 3.11 सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सोसायटी की चल या अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति या कुछ सम्पत्ति को विक्रय करना, रेहन रखना, पट्टे पर देना, विनियम करना और अन्यथा बदली करना या बेचना या तत्सम्बन्धी कार्यवाही करना ।
- 3.12 सोसायटी के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी भवन या निर्माण कार्य की संरचना करना, अनुरक्षण करना, परिवर्तन करना, सुधारना या विकास करना ।
- 3.13 सोसायटी के कर्मचारियों या उनके आधिकारों के कल्याण या लाभ के लिए भविष्य निधि की स्थापना व अनुदान और/या अन्य लाभकारी कोष की स्थापना तथा रख-रखाव करना और पेंशन, उपदान, वार्षिक भूतियां, ऋण, भत्ते इस ढंग से देना जिन्हें सोसायटी देना उचित समझती हो ।
- 3.14 सोसायटी की समस्त आयों, उपार्जनों, चल और / या अचल सम्पत्तियों का उपयोग और विनियोग केवल उन उद्देश्यों के उन्नयन के लिए किया जाएगा जो संस्था के इस ज्ञापन पत्र में घोषित किए गए हैं ।
- 3.15 सोसायटी के किसी सदस्य का सोसायटी की चल / अचल सम्पत्तियों या जानकारी या प्रौद्योगिकियों / ज्ञान पर कोई वैयक्तिक दावे का अधिकार नहीं होगा या अपनी सदस्यता के अधिकार से कुछ भी, किसी तरह लाभ नहीं उठाएगा ।
- 3.16 उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र के ढंग और नाम के अधीन कार्य कर रहे किसी प्रचलित संगठन(नों) और / या विद्यमान संगठन को उक्त संगठन के समस्त देयदेयों के साथ अधिकार में लेना ।

- 3.17 क्य द्वारा एकीकरण कर या अन्य ढंग से किसी अभिकरण, संगठन या निकाय के संचालनों का तदवत् उद्देश्यों वाले उपकरणों का अधिग्रहण करना ।
- 3.18 सोसायटी के निर्माण और प्रबन्धन पर सम्पूर्ण व्यय या आकस्मिक खर्च को सोसायटी की निधियों में से भुगतान करना ।
- 3.19 राष्ट्रीयकृत बैंक या बैंकों में से किसी बैंक में किसी प्रकार के खातों को खोलना और उनका संचालन करना ।
- 3.20 सोसायटी द्वारा / सोसायटी के या इसके अधिकारियों के विस्तृत किसी प्रकार के वादों और अन्य विधिक कार्यवाही करना, कार्यवाहियों में दखल देना या समझौता करना, प्रतिवाद करना, प्रवर्तन करना ।

पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्यों में अन्तर्निहित उपबन्धों का अन्य समस्त विधि सम्मत कार्यवाही से पालन किया जाएगा जो सोसायटी के उद्देश्यों की उपलब्धि में सहायक या प्रासंगिक हों परन्तु इस सोसायटी की किसी प्रकार से प्राप्त हुई आय और सम्पत्ति को केवल मात्र सोसायटी के नियत उद्देश्यों पर और सोसायटी के लिए काम में लाया जाएगा जैसा कि ऊपर तय है, और उन्हें उसके दायित्वों पर सोसायटी द्वारा न्याय में घासित किया जाने वाला समझा जाएगा कि उन्हें केवल इस ढंग से प्रयोग किया जाए और अन्य किसी प्रयोजन के लिए काम में न लिया जा सके और उस आय या उक्त सम्पत्ति के किसी भाग का भुगतान, उपयोग विनियोग या दूसरे के नाम परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सोसायटी के सदस्यों के, या किसी एक या उनमें से अधिक लोगों के लाभार्थ या बोनस, लाभों द्वारा नहीं किया जाएगा । बशर्ते कि वह नेक नीयत से किसी अधिकारी, कर्मचारी या सोसायटी के सदस्य को उसके द्वारा की गई सेवाओं के लिए भुगतान या पारिश्रमिक देने से संबंधित हो ।

4. महासभा :

प्रबन्ध निकाय के सदस्यों के नामों, पर्तों, व्यवसायों और पदों का विवरण अल्पावधि के लिए जिन्हें उसके प्रबन्धन और सोसायटी के कार्यों का दायित्व सुपुर्द किया गया है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक यथा विस्तारित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की द्वारा 2 के अधीन यथा अपेक्षित, इस प्रकार दिया हुआ है :

क्रमांक	नाम व पता	व्यवसाय	पदनाम
1.	श्री अरोक्त चन्द्र, सचिव, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-अध्यक्ष
2.	श्री एन. सिवासुन्दरमण्णन, अपर सचिव और वित्त सलाहकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-सदस्य
3.	श्री एच. सी. गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-सदस्य
4.	श्री एस. बनर्जी, संयुक्त सचिव (एम), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-सदस्य

<p>5. श्री नरेश दयाल, संयुक्त सचिव (स्था.), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>6. श्री जे.एस. मिश्रा, सलाहकार (स्था.), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>7. श्री एस. एन. माधुर, सलाहकार (रिफा.), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>8. श्री के.एन. वेंकटसुदामणियन, अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉ. लि., स्कोप कॉम्पैक्स, कौर-2, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003.</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>9. श्री आर.के. गाजरी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कॉ. लि., बलाड़ इस्टेट, भारत भवन, बम्बई</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>10. श्री पी. रामकृष्णान, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉ.लि., 17, जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>11. श्री ए.ए. नियाजी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आई.बी.पी. कम्पनी लि., गिलैंडर हाउस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता - 700 001.</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>12. श्री एच. कृष्णमृति, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, 480, विवराज कॉम्प्लैक्स, अणा सलाई, नन्दाननम, मद्रास</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>13. श्री के. एल. कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, पोस्ट बैग - 2, अम्बालामुग्ल, एरनाकुलम, केरल - 682 302.</p>	सेवा	पदेन-सदस्य
<p>14. श्री विनीत नायर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 16, भीकाजी कामा लेस, नई दिल्ली - 110 066.</p>	सेवा	पदेन-सदस्य

15. श्री पी.के. सूर्य
प्रबंध निदेशक,
तुम्हारोत्तम इंडिया लिमिटेड,
लीजो हाउस, चैपी मैनिंग,
४४-सी, पुराना प्रशादेवी रोड,
बम्बई - ४०० ०२५.
16. श्री एस. पी. गुप्ता,
प्रबंध निदेशक,
बोहैंड मैंड रिफाइनरीज एवं पेट्रोकेमिकल्स लि.,
पी.ओ. घासीगांव,
जिला - कोकाराजार,
असम - ७८३ ३८५.
17. श्री जे. रंगचारी,
अभ्यास और प्रबंध निदेशक,
इंडियनियर्स इंडिया लिमिटेड,
ई.आर्इ हाउस,
१, भीकारी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - ११० ०६६.
18. श्री आर.के. नारंग,
कार्यकारी निदेशक,
बॉयल को-ऑर्डिनेशन कमेटी,
स्कॉप कॉम्प्लीक्स, कोर-४,
७, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड,
नई दिल्ली - ११० ००३.

सेवा

पदेन-सदस्य

सेवा

पदेन-सदस्य

सेवा

पदेन-सदस्य

सेवा

पदेन-सदस्य

हम, अधिकारी संस्था के ज्ञापन - पत्र के अनुसार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम
XXI, 1860 जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित है, के अधीन उच्च
प्रोफेशनल केन्द्र नाम की सोसायटी के गठन करने के इच्छुक हैं।

10

क्र.सं.	नाम	पूरा पता	व्यवसाय	सेवा	हस्ताक्षरित	गवाही
1.	श्री अशोक चन्द्र,	सचिव, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - ११० ००१.		मै. अशोक परवीन एंड कम्पनी स्टार्ट		

निवास पता : ए.वी.-७८,
शाहजहां रोड, नई दिल्ली
नई दिल्ली - ११० ००१.

11

2. श्री एन. शिवामुद्रानण्यन अपर सचिव और वित्त सलाहकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शाहजहां भवन, नई दिल्ली - 110 001.
3. श्री एच.सी. गुप्ता संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शाहजहां भवन, नई दिल्ली - 110 001.

सेवा हस्ताक्षरित चाही

4. श्री एस. बनर्जी संयुक्त सचिव (एम), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शाहजहां भवन, नई दिल्ली - 110 001.
5. श्री नरेश दयाल संयुक्त सचिव (रक्षा), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शाहजहां भवन, नई दिल्ली - 110 001.

सेवा हस्ताक्षरित चाही

सेवा हस्ताक्षरित चाही

6.	श्री जे. एस. मिश्रा	सलाहकार (स्था), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, शाहदर्वी भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा हस्ताक्षरित वही
7.	श्री एस. एन. माधुर,	सलाहकार (रिफ.), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शाहदर्वी भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा हस्ताक्षरित वही
8.	श्री के.एन. वेंकटासुभ्रामणियन	अध्यक्ष, इडियन ऑपल कॉ. लि., स्कोप कॉम्पौक्स, कोर-2, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003.	सेवा हस्ताक्षरित वही
9.	श्री आर.के. गाचरी,	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कॉ. लि., बलाई इस्टेट, भारत भवन, बन्बर्ड	सेवा हस्ताक्षरित वही

10. श्री पी. रामकृष्णन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉ.लि.,
17, जमशेदजी टाटा रोड,
बंगलौर.

11. श्री प.ए. नियाजी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
आई.वी.पी. कम्पनी लि.,
गिलेण्डर हाउस,
8, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता - 700 001.

सेवा हस्ताक्षरित

वही

12. श्री एच. कृष्णमूर्ति, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड,
480, खिवराज कॉम्प्लेक्स,
अणा सलाई, नन्दननगम,
मद्रास

सेवा हस्ताक्षरित

वही

13. श्री के. एल. कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड,
पोस्ट बैग -2,
अन्बालम्पुल, एरनाकुलम,
केरल - 682 302.

सेवा हस्ताक्षरित

वही

वही

सेवा हस्ताक्षरित

सेवा

14. श्री विनीत नाथ,
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
गैस अध्योरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
16, भीकाजी कामा लेस,
नई दिल्ली - 110 066.

15. श्री पी.के. रुद्रा,

प्रबंध निदेशक,
टुडिजॉल इण्डिया लिमिटेड,
तोओ हाउस, चौथी मंजिल,
88-सी, पुराना प्रभादेवी रोड,
चम्बई - 400 025.

वही

सेवा हस्ताक्षरित

सेवा

18

वही

हस्ताक्षरित

सेवा

प्रबंध निदेशक,
बोगई गाँव रिफाइनरीज एवं पेट्रोकेमिकल्स लि.,
पी.ओ. धातीगांव,
जिला - कोकराकारा,
असम - 783 385.

वही

हस्ताक्षरित

सेवा

16.

श्री एस. पी. गुरा

वही

हस्ताक्षरित

सेवा

17.

श्री चे. रागचारी,

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
इंजिनियर्स इण्डिया लिमिटेड,
ई.आई हाउस,
1, भीकाजी कामा लेस,
नई दिल्ली - 110 066.

वही

हस्ताक्षरित

सेवा

19

वर्धी

हस्ताक्षरित

सेवा

कार्यकारी निवेशक,
ऑपरेट को-ऑरडिनेशन कमटी,

स्कोप लोगोसेच्युल, कोर-8,
7, इन्डियूशनल परिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003.

18. श्री आर.के. नारंग,

हस्ताक्षरित

अशोक गुरुता

मैसर्स अशोक परवीन एण्ड कम्पनी,
नाई चाता, करोल बाग, नई दिल्ली - 110 005.

इस ज्ञापन पर अधिहस्ताक्षरियों के हस्ताक्षरों की गवाही देता है।

५३७८०
१५३८२ म० —————
जानेवाला दिल्ली —————
Memo



09-3-92 दिल्ली ८
मैसर्स अशोक परवीन एण्ड कम्पनी,
नाई चाता, करोल बाग, नई दिल्ली - 110 005.
संख्या 1860 के परियोग दिल्ली
संख्या 1860 के परियोग दिल्ली
संख्या 1860 के परियोग दिल्ली

SWORN TO BE TRUE
REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI
DELHI
28/3/72

संस्था की नियमावली

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र
के
नियम एवं नियमावली

1. परिभाषाएँ :

जब तक उस विषय या उस प्रयोग के सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों से मुख्यतः अपने-अपने से सम्बद्ध उनका आशय अभिप्रेत होगा :

- 1.1 सोसायटी से उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र अभिप्राय होगा ।
- 1.2 'सदस्य' से सोसायटी के सदस्य का अभिप्राय होगा ।
- 1.3 'महासभा' से इस सोसायटी के सदस्यों की महासभा का अभिप्राय होगा ।
- 1.4 'प्रबन्ध परिषद' से इस सोसायटी की प्रबन्ध परिषद का अभिप्राय होगा ।
- 1.5 'अध्यक्ष' से इस सोसायटी के अध्यक्ष का अभिप्राय होगा ।
- 1.6 'उपाध्यक्ष' से इस सोसायटी के उपाध्यक्ष का अभिप्राय होगा ।
- 1.7 कार्यकारी निदेशक एवम् सचिव से कार्यकारी निदेशक का अभिप्राय होगा जो इस सोसायटी के सचिव के कार्यों का भी निष्पादन उस समय तक करता रहेगा जब तक स्वतंत्र सचिव की नियुक्ति यहां यथा निर्दिष्टानुसार नहीं हो जाती ।
- 1.8 'केन्द्रीय सरकार' से 'भारत सरकार' और 'सरकार से आशय भारत के गणतंत्र की संघीय सरकार का अभिप्राय होगा जो पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग) के माध्यम से कार्य करेगी ।
- 1.9 अधिनियम से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 का अभिप्राय होगा जोकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित है । दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उस अधिनियम में समय-समय पर लागू समस्त संशोधन और परिवर्तन सम्मिलित होंगे ।
- 1.10 'तेल उद्योग विकास बोर्ड' से तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अधीन स्थापित ऐसे बोर्ड का अभिप्राय होगा ।
- 1.11 पुलिंग में स्त्रीलिंग और ननुसकलिंग निहित होंगे ।

1.12 एक वचन में बहुवचन और इसके विपरीत अर्थ प्रहीत होगा ।

2. महासभा :

2.1 इस सोसायटी की महासभा के निम्न लिखित सदस्य होंगे :

1. पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के माध्यम से

- क) सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
- च) अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
- ग) संयुक्त सचिव (आर)
- घ) संयुक्त सचिव (एम)
- ड) संयुक्त सचिव (ई)
- च) सलाहकार (आर)
- छ) सलाहकार (ई)

2. अपने-अपने मुख्य प्रशासकों या अपने-अपने नामितों के माध्यम से निम्नलिखित कार्यकारियों द्वारा :

- क) इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ।
- ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई ।
- ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई ।
- घ) आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता ।
- ड) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास ।
- च) कोवीन रिफाइनरीज लिमिटेड, कोवीन ।
- छ) गैस आर्थरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।
- ज) लुब्रिजॉल इंडिया लिमिटेड, बम्बई
- झ) बोंगाई गांव रिफाइनरीज एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव ।
- ठ) इंडिनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।
- ट) तेल समन्वय समिति, नई दिल्ली ।
- ठ) उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, सदस्य सचिव ।

2.2

अतिरिक्त सदस्य : महासभा को सोसायटी का अतिरिक्त सदस्य बनाने का अधिकार होगा जो सोसायटी, कंपनियों, कॉर्पोरेशन और / या अन्य किसी वैधानिक सत्ता सदस्य के रूप में होंगे जोकि महासभा के मत में सोसायटी के लिए लाभदाता होंगे और जो उसके सदस्य बनने की सहमति दें ।

2.3

यदि सदस्य के वैधानिक गठन के नाम में परिवर्तन होता है तो उस सदस्य की वह सदस्यता वैधानिक गठन के उस परिवर्तित नाम के अन्तर्गत जारी रहेगी, जैसा भी मामला हो ।

2.4

रिक्तताएँ : महासभा को यह अधिकार होगा कि वह उस सोसायटी के वर्तमान सदस्य की सदस्यता समाप्त होने से पहले किसी भी रिक्त स्थान को भर सकेगी ।

2.5

सदस्यता की समाप्ति : सोसायटी का सदस्य होने से उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि इसकी वैधानिक सत्ता विधि प्रक्रिया द्वारा परिसमाप्त, भंग या समाप्त की जाती है, जैसा भी मामला हो । उपरोक्त के अतिरिक्त किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक वह सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है और महासभा द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है । समन्वित सदस्य / व्यक्ति को उसके त्यागपत्र की अस्वीकृति / समाप्ति के कारणों की सूचना देनी होगी ।

2.6

सदस्यता शुल्क : सदस्यों को कोई सदस्यता शुल्क नहीं देना होगा ।

2.7

बैठक की गणपूर्ति : फिलहाल सोसायटी की कुल सदस्यता का एक-तिहाई या छ: सदस्य होंगे इसमें जो भी अधिक हो । विभाजन परिणाम खण्ड में होना चाहिए आधे से कम के खण्ड स्वीकार नहीं होगा यदि आधे से अधिक खण्ड हो तो उसे एक के रूप में गिनती की जाएगी ।

2.8

सोसायटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष : सोसायटी का अध्यक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के सचिव होंगे । पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग सोसायटी का उपाध्यक्ष भी नामित कर सकता है ।

23

2.9 बैठक : महासभा की बैठक प्रबन्ध निकाय के प्रस्ताव पर कार्यकारी निदेशक और सचिव द्वारा बुलाई जाएगी या यदि ऐसा करना अपेक्षित है, तो सोसायटी के छः या इससे अधिक सदस्यों के प्रस्ताव पर बैठक बुलाई जाएगी।

2.10 यदि कार्यकारी निदेशक और सचिव सोसायटी के छः या इससे अधिक सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने की मांग करने पर ऐसा करने के लिए अपेक्षित 21 दिनों के अन्दर-अन्दर नहीं बुलाता है तो मांगकर्ता स्वयंमेव उस बैठक को बुला सकते हैं।

2.11 बैठक की कार्यसूची का महासभा द्वारा अपनी बैठक में निर्णय लिया जाएगा और कार्यकारी निदेशक एवं सचिव या मांग कर्ताओं द्वारा यथोक्त बैठक बुलाने की मांग पर बुलाइ गई बैठक में मांग कर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची पर विचार किये जाएं।

2.12 बैठक की नियत तारीख से कम से कम 21 दिन पहले सदस्यों को रजिस्टर्ड लिफाफे के अधीन बैठक की सूचना भेजनी होगी, और उसमें बैठक की तारीख, स्थान और समय निर्दिष्ट करना होगा और उसके साथ-साथ बैठक के लिए कार्यसूची की एक फोटो प्रति और उसकी व्याख्यातमक या पृष्ठभूमि नोट साथ संलग्न करना होगा।

2.13 जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, उस बैठक में उत्पन्न समस्त प्रश्न बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुल मत से निर्णय किया जाएगा।

3. प्रबन्ध परिषद :

3.1 सोसायटी का प्रबन्ध उसकी प्रबन्ध परिषद में निहित होगा जिसमें पेट्रोलियम और रसायन नियन्त्रण (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग) और उन संगठनों के प्रमुख कार्यकारी जो फिलहाल सोसायटी के सदस्य हैं (चाहे नामेदिष्ट अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या निदेशक या किसी रूप में हों) या उनके नामित व्यक्ति शामिल होंगे जोकि उक्त पैरा 2 में सविस्तारपूर्वक निर्दिष्ट हैं और प्रबन्ध परिषद में सहयोजित कोई अन्य व्यक्ति और उप पैरा 6.3 (1) में निर्दिष्ट के पदेन सदस्य होंगे।

3.2 प्रबन्ध परिषद के पदेन सदस्य की प्रबन्ध परिषद की सदस्यता उसके पद के कार्य भार के छोड़ते ही समाता हो जाएगी जिस पद की हैसियत से उसे प्रबन्ध परिषद की सदस्यता मिली हुई है और अगर उस पद पर उसका उत्तराधिकारी आ जाए तो उसकी बजाए उसके स्थान पर वह स्वतः ही प्रबन्ध परिषद का सदस्य हो जाएगा।

3.3 प्रबन्ध परिषद को किसी भी सदस्य के मुख्य कार्यकारी का पदनाम अस्थायी रूप से संशोधित करने का अधिकार होगा अगर उक्त घोषित पदनाम से भिन्न पदनाम में, इस प्रकार का पदनाम बदला जाता हो या अस्थायी रूप से विद्यमान से भिन्न हो और उनके उपबन्ध इस प्रकार के संशोधित पदनामों पर लागू होंगे।

3.4 सहयोजन : प्रबन्ध परिषद को नाम या पद से प्रबन्ध परिषद के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति को सहयोजित करने का अधिकार होगा, जो पेट्रोलियम या किसी सम्बद्ध उद्योग से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सम्बन्धित हो, जहाँ प्रबन्ध परिषद में सहयोजन सोसायटी के लिए कार्यसूची जाए।

3.5 जब तक सहयोजित सदस्य पहले त्यागपत्र नहीं दे देता तो प्रबन्ध परिषद में ऐसे व्यक्ति की पदावधि जारी रहेगी और वह सहयोजित सदस्य के रूप में रहेगा जब तक कि वह प्रबन्ध समिति से सेवा निवृत्त न हो परन्तु ऐसे व्यक्ति की सदस्यता पर सेवा निवृत्ति के समय पुनः सहयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

3.6 प्रबन्ध परिषद का अध्यक्ष : नियम 2.8 के उपबन्ध के अधीन सचिव (पेट्रोलियम) सोसायटी का पदेन अध्यक्ष होगा। सोसायटी का अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद का भी अध्यक्ष होगा।

3.7 प्रबन्ध परिषद के अधिकार :

संस्था के ज्ञापन में पूर्वोक्त सोसायटी के उद्देश्यों के कार्य निष्पादन करना होगा। सोसायटी कार्य के प्रबन्धन के लिए बिना पूर्वाग्रह के वांछित शक्तियों एवं दायित्व जो भी अपेक्षित हों उनके द्वारा प्रबन्ध परिषद निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम होंगी।

- i) नीतियों और अग्रांतियों का विनिश्चयन ।
- ii) बृहत् और दीर्घवधि अनुसंधान और विकास - कार्यकर्ताओं का विनिश्चयन करना व उनका पर्यवेक्षण ।
- iii) नियुक्तियां करना ।
- iv) नियिकों का संचालन करना ।
- v) सदस्यों और अन्य संगठनों और संस्थानों के क्षेत्रीय और स्थानीय प्रयोगों के प्रयासों को उत्ती प्रकार के उद्देश्यों के साथ प्रबोधन करना, प्रेरणा देना और समन्वय करना ।
- vi) वार्षिक कार्योरपोर्ट और वित्तीय रिपोर्ट को संशोधन के साथ, यदि कोई हो, ग्रहण करना और पारित करना ।
- vii) लेखों की लेखा परीक्षित वार्षिक विवरण को संशोधनों सहित, यदि कोई हो, ग्रहण करना और उसे पारित करना और बजट पारित करना ।
- viii) कार्यकारी निदेशक एवं सचिव को सोसायटी के विनियमों और सामान्य अनुदेशों को, किसी भी नीति सम्बंधी मामले में जारी करना ।
- ix) अभिकरणों, सरकारी अभिकरणों और स्थानीय अभिकरणों के प्रणालीकरण में उत्तरदायित्व के साथ सम्बन्धों को सूब्रबद्ध करना, विनियन्त्रित करना, मार्गदर्शन करना ।
- x) संसाधनों को कार्य में लगाना ।
- xi) सोसायटी की शक्तियों और कार्यों में से किसी या समस्त को कार्यकारी निदेशक एवं सचिव या सोसायटी के किसी अन्य अधिकारी में प्रत्यायोजित करना ।
- xii) सेवा शर्तें या सेवा शर्तों से सम्बन्धित अन्य नियमों को बनाना, अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण या अनुशासन सम्बन्धी नियम बनाना । प्रबन्ध परिषद सोसायटी के सदस्यों में से किसी एक को या कार्यकारी निदेशक एवं सचिव को संविदांतों, करारों के निष्पादन, प्रबन्ध परिषद की अनुमति के अधीन निधि बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित शर्तों पर सोसायटी का कार्य पूरा करने के लिए ऋणों या अनुदानों को ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है ।

26

xiii). प्रबन्ध परिषद अपने सदस्यों में से किसी को या सोसायटी के कार्यकारी निदेशक एवं सचिव को उन अन्य संगठनों को अनुदान के रूप में धन-राशि का भुगतान करने हेतु संविदांतों और करारों को करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिन्हें यथा निर्धारित की गई परियोजनाओं और शर्तों पर अनुसंधान कार्य के अनुसंधान और विकास परियोजनाएं सौंपी गई हैं ।

3.8 परिचालन द्वारा कार्य : प्रबन्ध परिषद का कोई कार्य प्रबन्ध परिषद के सदस्यों में परिचालन कर सम्पन्न किया जा सकेगा और प्रबन्ध परिषद के सदस्यों में परिचालित कर बहुमत द्वारा अनुमोदित संकल्प को यह समझा जाएगा कि वह कार्यान्वयित हो गया है ।

3.9 बैठकें : प्रबन्ध परिषद की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार होगी जिसमें वार्षिक कार्यकारी रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्ट और सोसायटी के गत लेखा वर्ष के लिए लेखा का लेखापरिक्षित वार्षिक विवरण और प्रस्तावित बजट और भावी लेखा वर्ष के लिए सोसायटी की कार्य योजना रखी जाएगी, और प्रबन्ध परिषद इन्हें संशोधनों सहित या रहित पारित करेगी । प्रबन्ध परिषद उस वार्षिक बैठक में सोसायटी के लिए लेखा परीक्षकों को भी नियुक्त करेगी और नई नियुक्ति के अभाव में पूर्व लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा ।

3.10 प्रबन्ध परिषद की बैठक कार्यकारी निदेशक एवं सचिव द्वारा, अध्यक्ष की इच्छा पर, बुलाई जाएगी ।

3.11 बैठक की कार्यसूची अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची होगी ।

3.12 बैठक की सूचना उस बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले लिखित रूप में भेजनी होगी, और उसमें बैठक की तारीख, स्थान और समय निर्दिष्ट करना होगा और उस बैठक के लिए कार्यसूची और कोई स्पष्टीकरण नोट(टो) की एक प्रति उसके साथ संलग्न की जाएगी । उस बैठक के लिए कार्यसूची में शामिल न की गई अतिरिक्त मदों पर बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से उस बैठक में विचार किया जा सकता है ।

3.13 बैठक की गणपूर्ति प्रबंध परिषद की कुल संख्या का एक तिहाई होगी या तीन सदस्य होंगे इनमें से भी अधिक हो । यदि विभाजन का परिणाम भाग में हो और वह आधे से भी कम हो तो उसकी गणना नहीं होगी और आधे से अधिक भाग में हो तो उसकी एक के रूप में गणना होगी ।

3.14 यदि बैठक के नियत समय के 3 (तीन) घन्टों के अन्दर-अन्दर कोई गणपूर्ति नहीं होती तो एक नई बैठक उसी कार्य के लिए बुलाई जाएगी और अगर बुलाई गई उस बैठक में भी गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो उस समय उपस्थित प्रबंध बोर्ड के सदस्यों से गणपूर्ति होगी बशर्ते कि उनकी संख्या दो से कम न हों ।

3.15 बैठक में उत्पन्न समस्त प्रश्नों का निर्णय प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

3.16 यदि अध्यक्ष उपस्थित न हों तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे । जब कभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बैठक में बैठक के लिए नियम समय के 30 (तीस) मिनट के अन्दर-अन्दर उपस्थित न हों तो बैठक में उपस्थित प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को उस बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपने मेंढ़चयन करना होगा और उन्हें भी मतों की समानता वाली स्थिति में दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

3.17 प्रबन्ध परिषद के प्रतिवर्ष की प्रथम बैठक में कार्यकलापों के सविस्तार कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया जाएगा । प्रबन्ध परिषद अपनी वार्षिक बैठक के बाद वर्ष भर की प्रगति का पुनरीकाश करते समय प्रमुख कार्यक्रमों और नीतियों की रिपोर्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, भारत सरकार को देनी होगी जिसमें सोसायटी द्वारा की गई विशिष्ट रूप से उपलब्धियों की ओर निर्देश करना होगा ।

4. कार्यकारिणी समिति :

4.1 एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें संयुक्त सचिव (रिफाइनरी), सलाहकार (रिफाइनरी), वित्त सलाहकार एवं मुख्य टैलोअधिकारी (तेल औद्योगिकी विकास बोर्ड) और कार्यकारी निदेशक, उच्च ग्रौंडेगिकी केन्द्र और प्रबन्ध परिषद द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य शामिल होंगे । संयुक्त सचिव (रिफाइनरी) इस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष होगे ।

कार्यकारिणी समिति का कोई कार्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में उसे परिचालित कर कार्यान्वयन भी किया जा सकता है ।

कार्यकारिणी समिति को जब जब आवश्यकता होगी, बैठक करेगी ।

4.2 कार्यकारिणी समिति प्रबन्ध परिषद के निदेशों के अधीन योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रधानतः उत्तरदायी होगी और इसके अतिरिक्त उसके निम्न अधिकार होंगे :

- 1) प्रौद्योगिकी अर्जन, परियोजना अध्ययनों, प्रयोगशाला / प्रायोगिक योजना / वाणिज्यिक अनुसंधानों, क्षेत्रीय कार्यक्रमों आदि पर होने वाले 25 लाख रुपये के मूल्य तक व्यय को अनुमोदित करना ।
- 2) दिन-प्रति-दिन कार्यों की व्यवस्था करने के लिए स्थायी अनुदेशों और मार्गदर्शन सिद्धांतों का जारी करना और पहल करना ।
- 3) किसी भी तरह के मामले पर नीति सम्बन्धी मामलों की परीक्षा करना और उसमें पहल करना जिन्हें प्रबंध परिषद ने विचार और स्वीकार करने के लिए उसे उचित समझा हो ।
- 4) सामान्य और अन्य कोई प्रत्यायोजित कृत्यों का प्रयोग करना ।
- 5) प्रबन्ध परिषद के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
- 6) सोसायटी के विविध कृत्यों और कार्यकलापों का समन्वयन करना ।
- 7) प्रबन्ध परिषद के निदेशों का कार्यान्वयन करना ।

5. सलाहकार समिति :

5.1 तेल उद्योग के केन्द्रित संगठन के रूप में उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र को उस उद्योग से सम्बन्धित अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों में तालमेल स्थापित करना होगा और वाणिज्यिक उपयोग के विकास के लिए उनका समर्थन करना होगा । प्रबन्ध परिषद के उचित अनुमोदन के बाद, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र को ऐसी विकासात्मक परियोजनाओं की पहचान, निधिकरण और मौनिटिरिंग करनी होगी । तथापि इन मुख्य अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों को निदेशक इ.ओ.कॉ. (अनु. एवं वि.), मुख्य अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों को निदेशक इ.आई.एल. (अनु. एवं वि.), सलाहकार (रिफाइनरी) और कार्यकारी निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र वाली सलाहकार समिति द्वारा एक या दो बाह्य विशेषज्ञों या रिफाइनरी / विपणन सहयोगित करने के लिए चयन किया जाएगा । कार्यकारी निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र वाली सलाहकार समिति द्वारा एक या दो बाह्य विशेषज्ञों या रिफाइनरी / विपणन सहयोगित करने के लिए चयन किया जाएगा । तेल उद्योग विकास बोर्ड के वित्त सलाहकार इस समिति के पदेन सदस्य होंगे । यह समिति निम्न की जांच पड़ताल करेगी :

- क) सम्भाव्यता ।
- ख) जटिल तकनीकी कार्यक्रम ।
- ग) उद्योग के लिए प्रासंगिकता और आवश्यकता ।
- घ) समय पर संरचना जिसमें यह अपेक्षित है ।
- ड) विशेषज्ञ और बाह्य संरचना की अवधि इस कार्य को करने के लिए उस संगठन की सामर्थ्यता ।
- च) सम्भाव्य उपभोक्ता ।
- छ) वित्तीय आवश्यकताएं और
- ज) अन्य कोई सम्बन्धित तथ्यों ।

- 5.2 यह समिति इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण भी करेगी ।
- 5.3 इस समिति की अध्यक्षता सलाहकार (रिफाइनरी) द्वारा की जाएगी ।

6. अधिकारी और उनकी द्यूतियां :

- 6.1 सोसायटी के अधिकारियों में निम्नलिखित में से एक या अधिक सम्मिलित होंगे । एक अधिकारी अन्य अधिकारी के कार्यों से सम्बद्ध होगा ।
- 1) कार्यकारी निदेशक एवं सचिव ।
 - 2) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाअधिकारी (वि.सं.मु. लेखाअधिकारी) ।
 - 3) अन्य अधिकारी और कर्मचारी ।
- 6.2 प्रबन्ध परिषद अंशकालिक या अल्पकालिक परामर्शदाताओं को ऐसी शर्तों पर भी नियुक्त कर सकती है जिन्हें सोसायटी के कार्यों का निष्पादन करने के लिए जरूरी समझा गया हो समय-समय पर तय की जा सकती है ।
- 6.3(1) कार्यकारी निदेशक एवं सचिव :
- क) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग) कार्यकारी निदेशक, एवं सचिव को नामित करेगी और उसके कार्यों, शक्तियों और सेवा शर्तों का प्रबन्ध परिषद द्वारा विनिश्चय किया जाएगा । कार्यकारी निदेशक प्रबन्ध परिषद का पदेन सदस्य होगा ।
 - ख) कार्यकारी निदेशक दिन-प्रतिदिन कार्यकारी कार्यकलापों और सोसायटी के कार्यों के लिए कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होगा । कार्यकारी निदेशक प्रबन्ध परिषद के नियन्त्रणाधीन सोसायटी के कार्यक्रम और कार्यकलापों के निदेश के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होंगे ।
 - ग) कार्यकारी निदेशक सोसायटी के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा । कार्यकारी निदेशक कार्यों या अन्य कोई द्यूतियों के अतिरिक्त सचिव के रूप में वे समस्त सांविधिक आवश्यकताओं की सोसायटी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होंगे ।

घ) प्रबन्धन परिषद द्वारा नियुक्त कार्यकारी निदेशक एवं सचिव की अनुपस्थिति में या अगर परिस्थितियों से इसकी आवश्यकता हो अध्यक्ष किसी अन्य अधिकारी को सचिव के रूप में सोसायटी के सांविधिक कार्यों को निपटाने के लिए पद नामित कर सकते हैं।

इ) अगर प्रबन्ध परिषद ऐसा करना जरूरी समझती हो तो वह सचिव के कार्य अन्य अधिकारी को हस्तान्तरित किए जा सकते हैं। या किसी अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती हैं और उसकी सेवा शर्तें शक्तियां उसकी ड्यूटियां नियत कर सकती हैं जिस पर कार्यकारी निदेशक सोसायटी के सचिव पद पर न रहे हों।

ज) सचिव को यह अधिकार होगा कि वे मुकदमों को दायर कर सकते हैं और सफाई पेश कर सकते हैं या सोसायटी की ओर से कोई कार्यवाही कर सकते हैं और उसे अधिकार होगा कि वह प्रबन्ध परिषद के निदेशों के अधीन सोसायटी से सम्बन्धित किसी विवाद को मध्यस्थ के निर्णय के लिए निर्देशित कर सकें।

6.3(2) वित्त सलाहकर एवं मुख्य लेखाधिकारी (वि. सला. एवं मु. लेखा):

वित्त सलाहकर एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रबन्ध परिषद द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होगा। जब तक इस प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति की जाए तब तक तेल उद्योग विकास बोर्ड के वित्त सलाहकर एवं मुख्य लेखाधिकारी या अन्य किसी अधिकारी से प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त सलाहकर एवं मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

6.4 स्टाफ, परामर्शदाताओं और सलाहकार :

प्रबन्ध परिषद को यह अधिकार होगा कि समय-समय पर अन्य अधिकारियों और स्टाफ को जब कभी सोसायटी के लक्ष्यों का निष्पादन करने या इसके कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यकता हो नियुक्त कर सके।

6.5 विनियोजन की अवधि :

क) कार्यकारी अधिकारी और स्टाफ को उस उद्योग के अनुसन्धान और विकास संगठनों और आवधिक आधार पर सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाएं।

ख) यथा अनिवार्य समझे जाने वाले विशेषज्ञों को तेल कंपनियों के बाहर से परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए जाएं।

ग) अन्य संगठनों से अन्य अधिकारियों, स्टाफ और परामर्शदाताओं को यदि आवश्यक हो सविदा पर नियुक्त भी किये जाएं।

घ) प्रबन्ध परिषद द्वारा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, सोसायटी के कार्य पर नियुक्त अधिकारी स्टाफ परामर्शदाता किसी अन्य बोर्ड, संगठन या संस्था का कमर्चारी होगा।

7. बैठकों के कार्यवृत्त :

7.1 कार्यवृत्तों का रिकार्ड :

क) कार्यकारी निदेशक एवं सचिव सोसायटी के सचिव और प्रबन्ध परिषद के सचिव के रूप में सोसायटी की महासभा और प्रबन्ध परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त को लिपिबद्ध करना और कायम रखना होगा।

ख) कार्यवृत्तों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा मसौदों के रूप में तैयार किए गए कार्यवृत्त सर्व प्रथम बैठक के अध्यक्ष को उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाएं और अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित कार्यवृत्त सचिव द्वारा सम्बन्धित कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किए जाएं और उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएं।

ग) पूर्व-संजिल्ड पुस्तक में कार्यवृत्तों को दर्ज किया जाएगा जिसमें पृष्ठ संख्या कम से अकिञ्चित हों।

7.2 कार्यवृत्तों की सारांशता :

बैठक के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा कि प्रस्ताव का कार्यान्वयन या तो सर्वसम्मति से या विशिष्ट बहुमत से किया गया है या नहीं किया गया है, और कार्यवृत्त वाली सम्बन्धित पुस्तक में उस कार्य के लिए उन्हें दर्ज किया जाएगा, उस तथ्य की निर्णायक साझी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या या अनुपात के भावी प्रमाण के दिना होगी ।

7.3 सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा यथा प्राधिकृत सोसायटी अधिकारी (ओ) द्वारा सोसायट की ओर से समस्त संविदाएं निष्पन्न जाएंगी ।

8. बजट और लेखा :

8.1 लेखा वर्ष :

जब तक प्रबन्ध परिषद द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया गया हो तब तक सोसायटी का लेखा वर्ष प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से आगामी वर्ष की इकतीस मार्च तक माना जाएगा ।

8.2 निधि :

सोसायटी की निधि में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :

- क) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या तेल उद्योग विकास बोर्ड के माध्यम से या के द्वारा दिए अनुदानों और ऋणों,
- ख) अन्य संसाधनों से प्राप्त दानों और अंशदानों ।
- ग) अन्य स्रोतों जिसमें तेल उद्योग शामिल है से सोसायटी की आय ।
- घ) किसी अन्तर्राष्ट्रीय स्रोत जिसमें भारत सरकार के माध्यम से ग्रहण की गई संपुक्त राष्ट्रीय शामिल है, से आय ।

ड)

उपरोक्त के अतिरिक्त, सोसायटी की उस निधि में सोसायटी के हस्तगत सम्पूर्ण धन (पूँजी या राज्य या किसी सम्पत्ति का आर्थिक परिवर्तन) शामिल होगा, और सम्पूर्ण निधियां महासभा के सभा नियन्त्रणाधीन होगी और केन्द्र की निधियां उड़ेगी और लक्ष्यों को पूरा करने के बास्ते प्रयोग में लाई जाएगी ।

च)

सोसायटी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंकों में से ऐसे बैंक में खाले रखेंगे और सोसायटी की प्रबन्ध परिषद द्वारा यथा प्राधिकृत सोसायटी के दो अधिकारियों द्वारा परिचालन किया जाएगा ।

बजट :

सोसायटी अप्रैल से मार्च तक 12 महीने के कारण प्रत्येक वर्ष में आगामी वर्ष के लिए सोसायटी का एक बजट तैयार करेगी और कार्यसूची की मद के रूप में प्रबन्ध परिषद की बैठक में उस पर विचार-विराग किया जाएगा तथा उसके बाद इसे केन्द्रीय सरकार और / या तेल उद्योग विकास बोर्ड के अनुमोदनार्थ सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उससे पहले प्रत्तुत करना होगा ।

क)

केन्द्रीय सरकार और / या तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा उस बजट का अनुमोदन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा ।

ख)

बजट ऐसे अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा जिन्हें समय-समय पर जारी किया गया हो और वह इस ढंग का होगा जिसे केन्द्रीय सरकार और / या तेल उद्योग विकास बोर्ड के निदेशक करे और उसमें निम्न के विवरण शामिल हों :

- 1) अनुमानित अन्य शेष ।
- 2) अनुमानित आय ।
- 3) उचित शीर्षों और उपशीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत अनुमानित व्यय, और
- 4) अनुमानित अंत शेष ।

ग)

अनुपूरक अनुमानित व्यय, यदि कोई हो, केन्द्रीय सरकार और / या तेल उद्योग विकास बोर्ड के अनुमोदनार्थ इस रूप में प्रत्तुत किया जाएगा और ऐसी तारीख को केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी ओर से निदेश किया गया हो ।

8.4

संस्था का लेखा :

क)

सोसायटी लेखा और अन्य सम्बन्धित रिकार्डों का उचित अनुरक्षण करेगी और लेखों का एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी जिसमें इस ढंग का तुलन-पत्र शामिल होगा, जो भारत सरकार और / या तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित किया होगा।

ख)

सोसायटी के योग्य लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखा परिषिक्त किया जाएगा इस प्रयोजन के लिए प्रबंध परिषद उसे नियुक्त करेगी।

9.

सोसायटी के उपनियम :

सोसायटी को अपने उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए कोई उपनियम बनाने, संशोधन या निरस्त करने का अधिकार होगा।

10.

शक्तियों का प्रत्यायोजन :

सोसायटी या प्रबन्ध परिषद संकल्प द्वारा कार्यकारी निदेशक एवं सचिव को सोसायटी का कार्य संचालन के लिए अपने ऐसे अधिकार दे सकती है जिन्हें आवश्यक समझा गया हो और ऐसी शर्तों के अधीन हों जो लागू हों।

11.

संविदाएँ :

कार्यकारी निदेशक एवं सचिव या प्रबन्ध परिषद द्वारा प्राधिकृत सोसायटी के किसी अधिकारी द्वारा सोसायटी की ओर से समस्त संविदाएँ निष्पादित की जाएंगी।

12.

सामान्य :

सोसायटी या प्रबन्ध परिषद के किसी कार्य या कार्यवाहियों में किसी कभी, या सोसायटी के विधान में कोई त्रुटि या प्रबन्ध परिषद में कभी के कारणों से अमान्य नहीं माना जाएगा जैसा भी मामला हो।

13

कार्यकारी निदेशक एवं सचिव के नाम पर सोसायटी मुकदमा कर सके या उस पर मुकदमा किया जा सकेगा, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होने से सोसायटी के पंजीयन अधिनियम 1860 की धारा 6 में विहित उपबन्धों के अनुसार होगा।

दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र पर व्यापक होने से एस.आर. अधिनियम 1860 की धारा 6 में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार हों।

14.

संशोधन :

सोसायटीस रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 12 और 12 (क) के उपबन्धों के अधीन, सोसायटी के ज्ञापन और अन्तर-नियमावली में संशोधन सोसायटी के सदस्यों की महासभा द्वारा किया जाएगा और सामान्य परिषद की साधारण बैठक में जो संशोधन के समर्थन में मतदान में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा होगा या सोसायटी के समस्त सदस्यों में परिचालित संकल्प पर उन संशोधन की उनकी सहमति व्यक्त करते हुए सोसायटी की अन्तर्नियमावली या ज्ञापन में केन्द्रीय सरकार की सहमति के सिवाय संशोधन नहीं किया जाएगा।

15. विलयन :

15.1 सदस्यों की महासभा की बैठक में या सोसायटी के समस्त सदस्यों में परिचालित इस की ओर से संकल्प पर सोसायटी के तीन-पांच बहुमत द्वारा सोसायटी का विलय किया जा सकता है। सोसायटी का विलय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 और 14 के अधीन निर्धारित उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।

15.2 सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित हैं। सोसायटी बन्द किए जाने की स्थिति में ऐसे सदस्यों को सोसायटी के बन्द करने का खर्च, प्रभार और लागत का अंशादान देना होगा ऐसी राशि जो देय हो, किन्तु वह रकम 50/- रु (पचास रुपये मात्र) प्रत्येक से अधिक न हो।

15.3 किसी प्रकार से प्राप्त की गई सोसायटी आय और परिसम्पत्ति का उसके उद्दोश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा जिस पर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई अनुदानों व्यव के बारे में ऐसी सीमाओं के अधीन ही रहेगा जो समय समय पर लागू की जाती है। सोसायटी की आय और परिसम्पत्ति का कोई भी भाग सीधे या परोक्ष

रूप से लाभांश, बोनस या अन्य किसी रूप में नहीं दिया जाएगा या अन्तरण नहीं किया जाएगा, किसी भी समय जो कोई सदस्य हो या सोसायटी को कोई सदस्य हो या उनमें से कोई हो: या उनमें से कोई दावा करने वालों में से कोई व्यक्ति हो या उनमें से किसी से बशर्ते कि उनमें से निहित कुछ सोसायटी के किसी सदस्य को पारिश्रमिक देने की सद्भावना, भुगतान करने से न रोकती हो या सोसायटी की, की गई किसी सेवा के बदले में किसी व्यक्ति को न रोकती हो।

15.4 अगर सोसायटी की समाप्त या विलयन पर, सोसायटी के ऋण और देयताओं के ऋण शोधन के बाद शेष रहेगा, तो कोई परिसम्पत्ति चाहे कैसी भी हो, उसका भुगतान, वितरण, सोसायटी के सदस्यों या उनमें से किसी को नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका सोसायटी की वस्तु से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिश्चित किए ढंग से सामंजस्य करना होगा।

15.5 वर्ष में एक बार सोसायटी रजिस्ट्रर अधिनियम 1866 की धारा 4 के अधीन यथा अपेक्षित सोसायटी रजिस्ट्रर के कार्यालय को प्रबन्ध परिषद के सदस्यों और पदाधिकारियों की एक सूची देनी होगी। 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रर अधिनियम XXI के समस्त उपबन्ध (जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक यथा विस्तारित पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) इस सोसायटी पर लागू होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र नामावली इस सोसायटी के नियम व विनियम की सही प्रतिलिपि है।

हस्ताक्षरित
(अध्यक्ष)

हस्ताक्षरित
(अध्यक्ष)

हस्ताक्षरित
(अध्यक्ष)

दिनांक 1.1.1996 को प्रबन्ध परिषद के सदस्यों की सूची।

क्रमांक	नाम व पता	व्यवसाय	पदनाम
1.	डा० विजय एल. केलकर सचिव, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-अध्यक्ष
2.	डा० ए.एन. सक्सेना, अपर सचिव और वित्त सलाहकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-सदस्य
3.	श्री निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-सदस्य

4.	श्री देवी दधाल, संयुक्त सचिव (एस), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-सदस्य	9.	श्री एच.एल. जुली,	सेवा	पदेन-सदस्य
5.	श्री हंजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव (स्था.), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-सदस्य	10.	श्री एस.एन. माधुर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आई.टी.पी. कम्पनी लि., गिलैण्डर हाउस, 8, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता - 700 001.	सेवा	पदेन-सदस्य
6.	श्री के.पी. शाही, सलाहकार (रिफा.), पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001.	सेवा	पदेन-सदस्य	11.	श्री आर. रवि कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, 480, खिंवराज कॉम्प्लैक्स, अणा सलाई, नन्दानम, मद्रास	सेवा	पदेन-सदस्य
7.	श्री आर.के. नारंग, अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉ. लि., स्कोप कॉम्प्लैक्स, कोर-2, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003.	सेवा	पदेन-सदस्य	12.	श्री के. एल. कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, पोस्ट बैग -2, अम्बालामुगाल, एरनाकुलम, केरल - 682 302.	सेवा	पदेन-सदस्य
8.	श्री यू. सुन्दरराजन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कॉ. लि., बलाई हस्टेट, भारत भवन, बम्बई	सेवा	पदेन-सदस्य	13.	श्री के.के. कपूर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, गैस अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 16, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066.	सेवा	पदेन-सदस्य

		सेवा	पदेन-सदस्य
14.	श्री एम.बी. बनर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तुड़िजॉल इण्डिया लिमिटेड, तीजो हाउस, चौथी मंजिल, 88-सी, पुराना प्रभादेवी रोड, बम्बई - 400 025.		
16.	श्री ज.एम.बी. बरुवा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दोगई गोव रिफाइनरीज एवं पेट्रोकेमिकल्स लि., पी.ओ. घाटीगांव, जिला - कोकराशार, असम - 783 385.		
17.	श्री निर्मल सिंह, अध्यक्ष, इंजिनियर्स इण्डिया लिमिटेड, ई.आई. हाउस, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066.		
18.	श्री डी.सी. लहरी, कार्यकारी निदेशक, ऑयल को-ऑरडिनेशन कमटी, स्कोप कॉम्प्लैक्स, कोर-8, 7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003.		

सदस्य सचिव

1. श्री ए.पी. चौधरी,
कार्यकारी निदेशक,
उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र,
स्कोप कॉम्प्लैक्स, कोर-6, 5वां तल,
लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003.

पांचवा तल, कोर 6 रकोप कॉम्प्लैक्स

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

रुबी प्रिन्टर्स: 1803, ज्ञानी बाजार, नई दिल्ली-110003 द्वारा—मुद्रित

दूरभाष: 4645575